राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या– 1053/2008/जालौर

इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लि. राजस्थान स्टेट ऑफिस अशोक चौक, आदर्श नगर जयपुर एवं संभागीय कार्यालय जोधपुर जरिये श्री संजीव कक्कड़ वरिष्ठ मण्डल रिटेल प्रबन्धक इण्डियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभार) जोधपुर मण्डल कार्यालय सेक्टर–12, चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड, जोधपुर .....प्रार्थी.

बनाम्

1. सरकार जरिये उप पंजीयक सायला जिला जालौर
2. श्रीमती रेणु राठौड़ धर्मपत्नी श्री देवेन्द्र सिंह राठौड जाति राजपूत निवासी पोसाना तहसील सायला जिला जालौर .....अप्रार्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एस.के. सेठी

अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से.

श्री डी.पी. ओझा

उप–राजकीय अभिभाषक। .....अप्रार्थी सं. 1 की ओर से.

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

दिनांक : 17.01.2018

निर्णय

1. उक्त निगरानी प्रार्थी द्वारा जिला कलेक्टर एवं जिला पंजीयक, जालौर (जिसे आगे "**अधीनस्थ न्यायालय**" कहा जायेगा) द्वारा प्रकरण संख्या 11/2007 में पारित निर्णय दिनांक 26.02.2008 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे "**अधिनियम**" कहा जायेगा) की धारा–65(2) के तहत् प्रस्तुत किया गया।
2. उक्त प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी सं. 2 द्वारा दिनांक 16.01.2003 को ग्राम मौजा पोषाण तहसील सायला जिला जालौर में स्थित खसरा नम्बर 12/1417 तथा 13/1416 में 14400 वर्ग फीट भूमि पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ हेतु लीज का दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पजीयन सायला के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक सायला द्वारा दस्तावेज पंजीयन कर दस्तावेज पंजीयन कर पक्षकारों को लौटा दिया गया। इस लीज डीड में पृष्ठ संख्या 6 पैर नं. 4 के उप पेरा एन के पंक्ति नं 2 में Will be automatically के स्थान पर May be automatically शुद्धिकरण करवाने हेतु Correction Deed दिनांक 03.02.2007 को उप पंजीयक सायला के समक्ष पेश की गयी। जिसे पंजीयन नहीं कर लौटाये जाने का आदेश दिनांक 03.02.2007 को पारित किया गया। इसके विरूद्ध अपील जिला कलक्टर पंजीयन, जालौर (जिसे आगे अधीनस्थ न्यायालय कहा जायेगा) के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसे निर्णय दिनांक 26.02.2008 द्वारा खारिज कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 26.02.2008 से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी प्रस्तुत की गयी है।
3. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

17/01/18

लगातार.....2.

4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2008 का खण्डन करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के मध्य निष्पादित लीज डीड दिनांकित 16.01.2003 का बुक संख्या 1 जिद संख्या 56 के पेज 18 पर क्रम 18/2003 पर नियमानुसार पंजीबद्ध कर लौटा दी गयी।

उक्त लीज डीड दिनांक 16.01.2003 के पृष्ठ संख्या 6 पेरा नंबर 4 के उप पैरा एन में टंकण त्रुटि से पंक्ति नंबर 2 will be auotomatically लिख दिया गया था। जिसके स्थान पर may be automatically लिखा जाना था। इसलिये उक्त लीज डीड दिनांक 16.01.2003 को संशोधित करने हेतु शुद्धि पत्र प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 उप पंजीयक सायला की दिनांक 03.02.2007 को रजिस्टर्ड कराने हेतु प्रस्तुत किया, जो उनके द्वारा पंजीयन से इन्कार कर लौटा दिया गया है।

5. विद्वान अधिवक्त प्रार्थी द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि उप पंजीयक सायला द्वारा अपील अन्तर्गत आदेश इस आधार पर पारित किया गया है कि पूर्व में रजिस्टर्ड उक्त लीज डीड से संबंधित कमी मुद्रांक शुल्क वसूली का प्रकरण न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), पाल में विचाराधीन होने के आधार पर शुद्धि पत्र का पंजीयन से इन्कार आदेश दिनांक 03.02.2007 प्रार्थी को सुने बिना पारित किया गया है, जो विधिसंगत नहीं है। उक्त आदेश की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर (मुद्रांक), पाली द्वारा स्टाम्प प्रकरण संख्या 1/2007 में जारी नोटिस प्राप्त होने पर दिनांक 05.04. 2007 को हुई और अपीलाधीन आदेश की नकल मांगी जो दिनांक 19.04.2007 को अपील प्रस्तुत की गई है जो आदेश जानकारी से अंदर मियाद है विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 भारतीय रजिस्ट्रेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 26.02.2008 में यह निष्कर्ष दिया है कि "कमी मुद्रांक शुल्क का जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है उसकी वसूली को Defeat करने के लिये शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया गया है। इससे दस्तावेज का आशय व प्रकृति बदल जाती है।" किन्तु उक्त चाहे गये संशोधन से दस्तावेज के आशय व प्रकृति नहीं बदलती हैं केवल टंकण की त्रुटि को संशोधित करना चाहा गया है। उप पंजीयक द्वारा लीज डीड के शुद्धि पत्र को पंजीबद्ध नहीं करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उप पंजीयक के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को जिन आधारों पर अस्वीकार किया गया है, वह विधि एवं तथ्यात्मक दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2008 को अपास्त कर निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

6. अप्रार्थी राजस्व/विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ

17/01/18

लगातार.....3.

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील मियाद बाहर थी तथा लीज डीड दिनांक 16.01.2003 के कमी मुद्रांक वसूली बावत् रेफरेन्स पेश होने के पश्चात् उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 03.02.2007 सुनियोजित योजना के तहत् बाद में वसूली प्रकरण से बचने के लिये तैयार कर पंजीयन करवाने हेतु प्रस्तुत किया है जो कतई शुद्धि पत्र की श्रेणी में नहीं आता है। इससे मूल लीज डीड की प्रकृति परिवर्तित होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को मियाद बाहर एवं गुणावगुण पर अस्वीकार करने का आदेश दिनांक 26.02.2008 विधि सम्मत है। अतः राजस्व/विभाग के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थी के निगरानी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2008 को यथावत रखने का निवेदन किया।

7. उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. अप्रार्थी सं. 2 द्वारा दिनांक 16.01.2003 को ग्राम मौजा पोषाण तहसील सायला जिला जालौर में स्थित खसरा नम्बर 12/1417 तथा 13/1416 में 14400 वर्ग फीट भूमि पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ हेतु लीज का दस्तावेज पंजीयन हेतु उप पजीयन, सायला के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उप पंजीयक, सायला द्वारा दस्तावेज पंजीयन कर दस्तावेज पंजीयन कर पक्षकारों को लौटा दिया गया। इस लीज डीड में पृष्ठ संख्या 6 पैर नं. 4 के उप पेरा एन के पंक्ति नं 2 में Will be automatically के स्थान पर May be automatically शुद्धिकरण करवाने हेतु Correction Deed दिनांक 03.02.2007 को उप पंजीयक सायला के समक्ष पेश की गयी। जिसे पंजीयन नहीं कर लौटाये जाने का आदेश दिनांक 03.02.2007 को पारित किया गया। इसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बाहर मानकर एवं गुणावगुण पर निर्णय दिनांक 26.02.2008 द्वारा खारिज किया गया।

9. यह उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत अपील को मियाद बाहर होने के संबंध में यह निष्कर्ष दिया है कि "अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ उप पंजीयक का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.02.2007 की बुक नं. 2 की नकल एवं उस पर मूल दस्तावेज की प्राप्ति रसीद से ही स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश प्रार्थी के उपस्थिति में उसी दिन पारित किया जाकर मूल शुद्धि पत्र पंजीयन से इन्कार कर उसी दिनांक 03.02.2007 को ही पुनः लौटा दिया गया था, जिससे अपीलाधीन आदेश की जानकारी हितबद्ध पक्षकारों को उसी दिन से थी और ऐसी स्थिति में धारा 72 भारतीय पंजीयन अधिनियम के तहत् अपील निर्धारित मियाद अवधि 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जानी आवश्यक थी जो दिनांक 19.04.2007 को प्रस्तुत की गयी और इस प्रकार प्रकट रूप से मियाद बाहर ही है।"

10. इस संबंध में यहा यह भी उल्लेखनीय है कि उप पजीयक का शुद्धि पत्र को पंजीयन से इन्कार का आदेश दिनांक 03.02.2007 को प्रार्थी को प्राप्त होने के तथ्य का प्रार्थी

17/01/18

लगातार.....4.

द्वारा खण्डन नहीं किया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील दिनांक 19.04.2007 को प्रस्तुत की गयी। अतः मियाद के संबंध में प्रार्थी का यह कथन कि उसे दिनांक 03.02.2007 के आदेश की जानकारी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित अन्य प्रकरण 1/2007 में जारी नोटिस के दिनांक 05.04.2007 को हुई को स्वीकार नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित नहीं की है।

11. यह स्पष्ट है कि कोई भी शुद्धि पत्र का लिपिकीय/टंकण की त्रुटि को संशोधित करने प्रस्तुत किया जा सकता है किन्तु इससे पूर्व दस्तावेज के आशय एवं प्रकृति को नहीं बदला जा सकता। प्रार्थी ने लीज डीड दिनांक 16.01.2003 के पृष्ठ संख्या 6 पैर नं. 4 के उप पैरा एन के पंक्ति नं 2 में Will be automatically के स्थान पर May be automatically शुद्धिकरण करवाने हेतु Correction Deed दिनांक 03.02.2007 को पंजीयन नहीं करने के आदेश दिनांक 03.02.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.02.2008 द्वारा गुणावगुण पर इस आधार पर अस्वीकार किया है कि लीज डीड दिनांक 16.01.2003 के कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है उसकी वसूली को Defeat करने के लिये उक्त शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया गया है। इससे दस्तावेज का आशय व प्रकृति बदल जाती है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि प्रथम तो लीज डीड दिनांक 16.01.2003 में शुद्धि करण हेतु शुद्धि पत्र दिनांक 03.02.2007 को प्रस्तुत किया गया जो लीज डीड पंजीयन के 4 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया। द्वितीय उक्त शुद्धि पत्र लीड डीड के संबंध में कमी मुद्रांक शुल्क का रेफरेन्स प्रस्तुत होने एवं उक्त रेफरेन्स का अधीनस्थ न्यायालय का नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् उक्त शुद्धि पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः इतने अधिक समय पश्चात् उक्त परिस्थितियों में शुद्धि पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि उक्त शुद्धि पत्र दिनांक 03.02.2007 द्वारा लीज डीड दिनांक 16.01.2003 के पैरा IV(n) में will be automatically के बजाय may be automatically संशोधित किये लीज डीड के कमी मुद्रांक शुल्क की वसूली को डिफिट (defeat) करने के उद्देश्य से प्रस्तुत करना पश्चात्वर्ती सोच है, यह एक विधि सम्मत निष्कर्ष है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार उपलब्ध नहीं है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

12. परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 26.02.2008 की पुष्टि की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

17/01/18

(राजीव चौधरी)
सदस्य